RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)
Research Paper
Available online at: www.rhimrj.co.in

आजादी के पूर्व बिहार में महिलाओं की स्थिति

डॉ0 अर्चना कुमारी

इतिहास विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

स्त्री और पुरूष की समान भागीदारी से ही किसी सशक्त राष्ट्र/राज्य का निर्माण एवं विकास संभव है। भारत १९४७ में आजाद हुआ और २६ जनवरी १९५० को नया संविधान लागू हुआ जिसमें धर्म, जाति, लिंग, वंश पर आधारित भेदभव को समाप्त करने की बात कही गयी। हमारे देश में बात चाहे आजादी के लिए किए जाने वाले संधर्ष की हो या विकास की, महिलाओं ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यहाँ तक कि जब भारत के भावी संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री परिषद् का गठन हुआ तो उसके २१७ सदस्यों में से १५ महिलाएँ थी और इसी परिषद् की अनुशंसा पर भारत का नया संविधान बना। आजादी के बाद से अब तक महिलाओं की स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं और हर क्षेत्र में अग्रसर होने के अलावा वे स्वयं सशक्त हो रही हैं और एक सशक्त राष्ट्र/राज्य के निर्माण एवं विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं।

हालांकि महिलाएँ आज भी कई समस्याओं से संधर्ष कर रही हैं और उनकी स्थिति को पर्याप्त संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इस संदर्भ में यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास में महिलाओं की भूमिका अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि अन्य प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में प्राचीन वैदिक सभ्यता में नारी की दशा अपेक्षाकृत संतोषजनक थी। पुत्रियों की उपनयन संस्कार होता था एवं उन्हें भी शिक्षा पाने का अधिकार था। हमें इस काल में कई विदुषी, चिकित्सक, आचार्या तथा नृत्य-गान में प्रवीण महिलाओं की जानकारी प्राप्त होती है। आर्थिक स्वाधीनता के लिए भी कभी-कभी स्त्रियाँ इन साधनों का उपयोग करती थीं। आपदा या विशेष परिस्थितियों में साधारण स्त्रियाँ कताई-बुनाई का भी कार्य किया करती थी। वे कवयित्रियाँ भी होती थी और ऐसी कई स्त्रियों के मंद वेदों में सम्मिलित हैं। इनकी स्थिति में निरंतर होते ह्रास की हालांकि कोई निश्चित समय ज्ञान नहीं है किंतु ऐसा माना जाता है कि ईसा की तीसरी शती से विभिन्न कुप्रथाओं यथा पराधीनता, अशिक्षा, पर्दा, बाल विवाह, सती-प्रथा, विधवा विवाह पर प्रतिबंध का प्रवेश शुरू हुआ।

प्राचीन काल से ही बिहार भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र बिंदु रहा है एवं इसके गौरवशाली अतीत को समृद्ध बनाने में यहाँ की महिलाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राचीन बिहार की महिलाओं में यशोधरा, सुजाता, अम्बपाली, संघमित्रा, ध्रुवस्वामिनी, प्रभावति गुप्ता, विधा, भारती, भद्रा, मैत्रेयी, कात्यायनी, प्रातिथेयी, वैशालिनी, वैधा जरा, कर्कटी, गार्गी, गौतमी, उर्मिला, सच्चा, लोला, अववादका, पराचारा, चंदना, रानी पद्मावती, रानी रोहिणी, कन्या नागत्री, विशाख, सुकन्या, क्षेमा विशेषतः उल्लेखनीय है जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवान महावीर के संध में छत्तीस हजार आर्चिकाएँ (भिक्षुणियाँ) और तीन लाख श्राविकाएँ (व्रतिधारिणी गृहस्थ स्त्रियाँ) थी, जिनमें अधिकांश बिहार की निवासिनी थी। मिथिला क्षेत्र की विदुषी महिला गार्गी की विद्वता के आगे तो महर्षि याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में पराजित होकर यह कहने को विवश होना पड़ा था-"देवी गार्गी, मैं तुमसे पराजित हो गया।" ईसा-पूर्व पाँचवी शती में बिहार की नारियों की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। उस समय भी नारियों का प्रमुख कार्य गृह-प्रबंध ही था। केवल उच्च वर्ग की स्त्रियाँ ही समान्यतः सामाजिक कार्यों में हाथ बँटाती थी। सर्वसाधारण स्त्रियों को न तो वैसी शिक्षा प्राप्त होती थी और न उन्हें गृहकार्य से अवकाश ही मिल पता था। आर्थिक मामलों में वे स्वाधीन नहीं रह गयी थीं और एक तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पुरूषों पर आश्रित होने लगी थीं।

समय के चक्र-परिवर्तन से भारत को विदेशी शासकों के हाथ में आना पड़ा और बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। इन विदेशी शासकों में विशष रूप से मुसलमान शासकों के समय में नारियों की स्थिति में विशेष गिरावट दिखाई पड़ती है। प्राचीन काल में जो कुछ स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त थी, वह इस काल में नहीं रही तथा बिना पर्दे के उनका बाहर निकलना मुश्किल था। कुलीन वर्ग की कुछ स्त्रियों ने इस समय भी शिक्षा ग्रहण की किंतु जनसाधारण वर्ग की महिलाओं की पहुँच से शिक्षा दूर होती जा रही थी।[१२] पुत्री का जन्म अब भय का कारण माने जाने लगाथा। उनकी जिंदगी एक तरह से घर की चहारदिवारी के अंदर सिमट कर रह गयी थी। उनका कोइ अधिकार नहीं था। अनेक कुप्रथाएँ यथा

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved ISSN: 2349-7637 (Online)

सती, बालिका वध, विधवा विवाह पर प्रतिबंध से महिलाओं का जीवन ग्रसित हो गया था। हिंदू विधवाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता था। किसी भी शुभ कार्य में सम्मिलित होने का उन्हें अधिकार नहीं था। स्त्रियों को उस समय किसी-न-किसी के अधिकार में ही रहना पड़ता था। १९वीं सदी के अंत तक भी बिहार की महिलाएँ मध्यकालीन स्थिति में ही पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऐनी बेसेंट आदि के प्रयासों के बावजूद बिहार की नारियों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इतना अवश्य हुआ था कि ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से यहाँ के बड़े-बड़े परिवार की कन्याएँ पढ़ने-लिखने लगीं। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पर्दा प्रथा तोड़ने में काफी सहायक रहा। बिहार में शुरू हुये पर्दा-प्रथा के विरूद्ध प्रबल आंदोलन को गाँधी जी का पूर्ण समर्थन मिला। उन्होंने बिहार के नेताओं का आह्वान करते हुए उन्हें पर्दा-प्रथा विरोधी आंदोलन में सक्रिय सहयोग देने को कहा। स्वयं उन्होंने इस विषय पर कई लेख लिखे और आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाली महिलाओं को अपना समर्थन दिया। बिहार की महिलाओं को नैतिक बल प्राप्त हुआ। बिहार के प्रत्येक जिले में पर्दा-प्रथा के विरूद्ध जन सभाओं का संचालन किया गया जिसमें उच्च वर्ग की महिलाओं ने भाग लिया। यह बिहार के सामाजिक जीवन में होने वाले एक निर्णायक परिवर्तन का सूचक था उसका प्रभाव समाज के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा। सार्वजनिक जीवन में नारियों का प्रवेश होने लगा और स्त्री-शिक्षा का भी विस्तार हुआ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

१. डॉ. विजय कुमार : बिहार के विकास में महिलाओं की भूमिका, पृ. ३६ : २०१२ पटना।
२. जयशंकर मिश्र : प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ. ४३०-४०।
३. साधना आर्य : नारीवादी राजनीति संधर्ष और मुद्दे, पृ. १६०-१६५।
४. अमरेन्द्र कुमार, स्वाधीनता संग्राम में बिहार की महिलाएँ, हिन्दुस्तान, दिनांक १५.८.९७ पृ. १७।
५. दत्त, के. के., बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास, खंड-३, पृ. ३३।
६. बिहार की महिलाएँ, स. शिवपूजन सहाय, पृ. ३३२।
७. दत्त, के. के., बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास, खंड-३, पृ. ३३।
८. सिंह कुमारी शीला, महात्मा गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिहारी महिलाओं का योगदान, पृ. १९८।

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)